# ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक

## भाग-एक

## 1. प्रस्तावना

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025 तक के दौरान ग्राम पंचायत भनोता में निम्नलिखित पदाधिकारी/आहरण व संवितरण अधिकारी कार्यरत रहे :-**

**प्रधान**

| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री अनुज कुमार | 01-04-2024 से 31-03-2025 तक |

**सचिव**

| क्रम संख्या | सचिव का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री कामेश्वर | 01-04-2024 से 31-03-2025 तक |

### (ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

**ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।**

| क्र. स० | गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | पैरा संख्या | राशि लाखों में |
|---|---|---|---|
| 01. | वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही चयनित माह के दौरान खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे। | 8.1 | ₹17.17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02. | ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे। | 8.2 | ₹0.33 |
| 03. | आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर/बजरी के क्रय दौरान भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि का अधिक/अनियमित भुगतान बारे। | 8.3 | ₹1.18 |
| 04. | कनिष्ट अभियंता स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना | 8.4 | ₹43.91 |
| 05. | बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे। | 9.1 | ₹18.22 |

## (घ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भनोता का अंकेक्षण, अवधि 04/2020 से 03/2022 तक के लिये किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/SML/2025/02 दिनांक 01-08-2025 द्वारा सचिव को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव ने बताया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर शीघ्र ही अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र अवगत करवाये जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

### 1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022 तक

| क्रम संख्या | पैरा संख्या | पैरा स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | निर्णीत | चालान संख्या 11 दिनांक 18.12.2022 |
| 2. | 4 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित। |
| 3. | 5 | अनिर्णीत | - |
| 4. | 6 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | 7 | अनिर्णीत | - |
| 6. | 8 | अनिर्णीत | - |
| 7. | 9 | अनिर्णीत | - |
| 8. | 10 | अनिर्णीत | - |
| 9. | 11 | अनिर्णीत | - |
| 10. | 12 | अनिर्णीत | - |
| 11. | 13 (क) | अनिर्णीत | - |
| 12. | 13 (ख) | अनिर्णीत | - |
| 13. | 14 | अनिर्णीत | - |
| 14. | 15 | अनिर्णीत | - |
| 15. | 16 | अनिर्णीत | - |
| 16. | 17 | अनिर्णीत | - |
| 17. | 18 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित। |
| 18. | 19 | निर्णीत | वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित। |

## भाग- दो

## 2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 01-08-2025 से 08-08-2025 के दौरान ग्राम पंचायत भनोता के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | आय चयनित माह | व्यय चयनित माह |
|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 10/2024 | 01/2025 |

**अस्वीकरण:-** वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व

उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

## 3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/SML/2025/10 दिनांक 08-08-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

## 4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत भनोता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

**4.1 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान:** ग्राम पंचायत भनोता के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

**1. स्व:-स्त्रोत & 5th SFC**

| वित्तीय वर्ष | अथ शेष | कुल प्राप्ति | कुल योग | कुल व्यय | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 773289.80 | 672733.00 | 1446022.80 | 549009.00 | 897013.80 |

**2. अनुदान**

| वित्तीय वर्ष | अथ शेष | कुल प्राप्ति | कुल योग | कुल व्यय | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1578586.09 | 12105330.14 | 13683916.23 | 11031258.14 | 2652658.09 |

**कुल योग (1+2) ₹897013.80+₹2652658.09= ₹3549671.89**

**(ब) ग्राम पचांयत भनोता, का दिनांक 31/03/2025 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।**

| क्र० स० | अनुदान का नाम | खाता संख्या | बैंक का नाम | राशि 31-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15th FC | 99120100005936 | HPGB Chaned | **2406034.00** |
| 2. | Niti Aayog | 99120100007297 | HPGB Chaned | **7934.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | MMUPY | 99120100007300 | HPGB Chaned | **8432.00** |
| 4. | MMGPY | 99120100005979 | HPGB Chaned | **1649.80** |
| 5. | MPLAD | 99120100000306 | HPGB Chaned | **171.20** |
| 6. | MPLAD (Rajya Sabha) | 99120100000322 | HPGB Chaned | **194919.80** |
| 7. | SDP | 99120100005871 | HPGB Chaned | **7947.80** |
| 8. | VKVNY | 99120100005898 | HPGB Chaned | **101959.00** |
| 9. | IAY/RAY | 99121301201059 | HPGB Chaned | **22577.00** |
| 10. | Relief,SDRF,WDC,ZP | 99121301202773 | HPGB Chaned | **95551.49** |
| 11. | Own Source & 5th SFC | 17910107031 | HPSCB Chamba | **883455.80** |
| | | | Cash In hand | **18987.00** |
| | | | **TOTAL** | **₹3749618.89** |

**अन्तर (ब-अ) ₹3749618.89- ₹3549671.89 = ₹199947.00**

**4.2** 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने के कारण इससे सम्बन्धित (वित्तीय विवरण व उससे सम्बन्धित पैरों को छोड़कर) पैरों का विवरण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

## 4.3 पंचायत समिति के समस्त लेखों का रख-रखाव ऑनलाइन प्रणाली (e-gram swaraaj/ Priya Soft.) में न किये जाने बारे :-

निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास हि० प्र० के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-75 दिनांक 24-01-2018 के अंतर्गत समस्त PRIs (पंचायती राज संस्थाओं) को लेखों का रख-रखाव मार्च, 2018 के बाद ऑनलाइन माध्यम में किया जाना अनिवार्य किया गया था।

ग्राम पंचायत भनोता के अंकेक्षण दौरान अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा विवरणानुसार कुल ग्यारह रोकड़बहियों का संधारण किया गया था जिनमें से केवल पांच रोकड़बहियों का संधारण ही ऑनलाइन (e-gram स्वराज) पोर्टल पर किया गया था अन्य छः अनुदानों की रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल (ऑफलाइन) माध्यम से ही किया गया था जोकि उक्त सरकारी आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें कटिंग, ओवरराइटिंग के साथ-साथ न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1**

**व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 05-08-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि,उक्त वर्णित छ: रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से ही किया जा रहा है लेकिन भविष्य में शीघ्र ही इनका संधारण ऑनलाइन किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: उक्त अनियमितता को नियमानुसार न्यायोचित ठहराये जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

## 5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.99 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत भनोता, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2025 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹199947.00 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 05-08-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 5.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु 5th SFC अनुदान के साथ एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 05-08-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹26.52 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2025 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹2652658 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 05-08-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.82 लाख की वसूली न करने बारे

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को

नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत भनोता के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹181780 वसूली हेतु शेष थी।

| वित्तीय-वर्ष | गत शेष | कुल परिवार | दर | वर्ष के दौरान मांग | कुल मांग | कुल वसूल राशि | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 165820 | 798 | 20 | 15960 | 181780 | 0 | 181780 |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 08-08-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना।

हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹4075/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

| वित्तीय वर्ष | कुल पंजीकृत विवाह | APL Rate | | राशि | BPL Rate | | राशि | कुल राशि सामान्य व BPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Without LateFee | With LateFee | | Without Late Fee | With LateFee | | |
| 2024-2025 | 24 | 06@200 | 06@400 | 3600 | 05@25 | 07@50 | 475 | 4075 |

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 08-08-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि की वसूली उपरान्त सरकारी राजकोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

## 8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही चयनित माह के दौरान राशि ₹17.17 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान बारे।

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गया थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत भनोता के चयनित माह के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से राशि ₹1716819 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 06-08-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, किसी भी आपूर्तिकर्ता के पास W, X फॉर्म उपलब्ध न होने के कारण पंचायत द्वारा भुगतान किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयल्टी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण चयनित माह के दौरान सरकार को राशि ₹0.33 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C) वस्तु व सेवा कर (GST) अधिनियम 2017 की धारा 51 (a) के प्रावधानानुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत भनोता के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलगन विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹1626974 का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम व वस्तु व सेवा कर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर केवल चयनित माह में ही राशि ₹32539 (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 05-08-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि,

टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये तथा चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों के दौरान ऐसे मामलों में अपने स्तर पर गणना करके अपेक्षित टीडीएस की राशि को शीघ्र सरकारी राजकोष में नियमानुसार जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

## 8.3 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर/बजरी के क्रय दौरान भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹1.18 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम 2.1.2.13 में पत्थरों (Stone/Blouders) व Aggrigate की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की क्रमशः 12.5% व 5% की दर से कटौती किया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत भनोता के व्यय चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "6" के अनुसार राशि ₹1217392 की बजरी व पत्थर का क्रय किया गया परन्तु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित Voids की कटौती नहीं की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप राशि ₹117815 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 05-08-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, जानकारी न होने के अभाव में पत्थर/बजरी के बिलों में Voids की कटौती किये बिना ही भुगतान किया गया इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपेक्षित अमल में लाई जायेगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

उक्त तथ्यों व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा न केवल उक्त बिलों बल्कि समस्त बिलों में बिना Voids कटौती के भुगतान किया गया जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान भी किया गया। अत: उक्त अनियमिता को समर्थित अभिलेखों व ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अपेक्षित कटौती न करने के कारण हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 8.4 ग्राम पंचायत के कनिष्ट अभियन्ता स्तर पर निष्पादित स्वीकृत राशि ₹43.91 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक,तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायत की चयनित माह की लेखा परीक्षा के दौरान संल्गन परिशिष्ट "7" के अनुसार स्वीकृत राशि ₹4390915 के निष्पादित कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए । जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता, वैधता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी ।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 06-08-2025 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता के पास पड़े हैं । अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए जिससे उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके ।

प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है । अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

## 9.1 चयनित माह के दौरान बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹18.22 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46(2) के अनुसार वाउचर का पूर्ण व विश्वसनीय साक्ष्य होना व नियम 47 के तहत सभी दावे बिलों पर तथा बिल नियम 48 के अनुसार (सभी बिल) प्रथमत: बिल रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने उपरान्त अदायगी हेतु पारित किये जाने का प्रावधान है ।

ग्राम पंचायत भनोता के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि ₹1822099 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया

गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल केश मैमों, परफोर्मा बिल व सादे कागज हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 05-08-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर केश मैमों, परफोर्मा बिलों व सादे कागज पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं ? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर व बिलों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतर भुगतान केश मैमों,परफोर्मा बिल व सादे कागजों पर ही किये गये हैं जोकि कि संदिग्ध प्रतीत होता है टैक्स बिल न होने के कारण क्रय सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST इत्यादि की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 9.2 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़बही को प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ₹1833210.32 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल

नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 06-08-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 9.3 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना:-

ग्राम पंचायत के व्यय हेतु चयनित माह के दौरान मनरेगा अनुदान के अंतर्गत किये गए भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 06-08-2025 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 9.4 मनरेगा ऑनलाइन में उपलब्ध रिपोर्ट्स के आंकड़ों में अंतर बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन में उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट्स के अवलोकन में पाया गया कि इनमें प्रदत आंकड़ों में काफी अंतर पाया गया यथा मजदूरी पर व्यय ₹47.42 लाख दर्शाया गया जबकि इसकी विस्तृत रिपोर्ट में यह व्यय ₹48.07 लाख पाया गया इसी प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में मजदूरी व सामग्री अनुपात रिपोर्ट में कुल व्यय ₹75.38 लाख दर्शाया गया है जबकि वित्तीय विवरणों के अनुसार यह ₹80.20 लाख ही पाया गया इस प्रकार उक्त विभिन्न रिपोर्ट्स के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते हैं । इनमें काफी अंतर पाया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 06-08-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, उक्त ऑनलाइन आंकड़ों की छानबीन उपरान्त लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: उक्त मामले में एक ही अवधि में अलग-अलग रिपोर्ट्स में पाए गए आंकड़ों के अंतर के कारण की छानबीन उपरान्त वस्तुगत स्थिति से लेखा परीक्षा को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 10.1 ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 05-08-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कुछ का अपूर्ण है।

| क्र० | रजिस्टरअभिलेख/ | फॉर्म संख्या | संदर्भित नियम | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बजट प्राक्कलन | 11 | 37 | अपूर्ण |
| 2. | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 09 | 30 | संधारित नहीं |
| 3. | मासिक बैंक समाधान विवरणी | ---- | 15 (1) | संधारित नहीं |
| 4. | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61 (1) | संधारित नहीं |
| 5. | वर्गीकृत सार | 08 | 29 (4) | संधारित नहीं |
| 6. | निर्माण कार्य रजिस्टर | -------- | 103 | संधारित नहीं |
| 7. | तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन | 31 | 95 (1) | संधारित नहीं |
| 8. | बिल रजिस्टर | 13 | 48 | संधारित नहीं |
| 9. | बही खाता (Ledger) | 07 | 29 (1 से 4) | संधारित नहीं |
| 10. | अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों का रजिस्टर | 30 | 89 | संधारित नहीं |
| 11. | e-ग्राम swaraaj संधारित रोकड़बहियाँ | - | - | अपूर्ण |

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संधारित न करना व कुच्छ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है । उक्त अभिलेखों का संधारण न किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर बिल रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक है अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमिता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है । अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये ।

## 11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत भनोता की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया । जिसके अभाव में, किसी वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता । समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता । यह एक गम्भीर अनियमितता है ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 28-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता । अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

**12. लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है । अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया ।

**13. निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें जा रही है। जोकि न केवल नियमों की अवहेलना है अपितु इससे किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः मामला विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

(कृष्ण लाल नेगी) 18/X/25
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

6650-6654
24 OCT 2025 का०/छि

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच(पंच) 15(7)111/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि०प्र०।

**पंजीकृत** 5. सचिव, ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 18/X/25
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का०/छाते

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

## Annual Financial Position of GP Bhanota Development Block Chamba for the Year 2024-2025

Own Source & 5th SFC

| FINANCIAL YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 773289.80 | 672733.00 | 1446022.80 | 549009.00 | 897013.80 |

2. Grants in aid

| FINANCIAL YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1578586.09 | 12105330.14 | 13683916.23 | 11031258.14 | 2652658.09 |

3549671.89

**Remarks: It is certified that the above figures are as per E-Gram Swaraaj Online Cash Books,MGNREGA Online & Manual Offline Cash Books**

| | | |
|---|---|---|
| 1+2 (897013.80+2652658.09) Closing Balance as per Cash Books | | 3549671.89 |
| Closing Balance as per Bank Passbook | | 3749618.89 |
| Difference | (Less in Cash books) | -199947.00 |

SO (Audit)

सचिव
ग्राम पंचायत भनोता
वि.खण्ड चम्बा जिला चम्बा

प्रधान ग्राम पंचायत भनोता वि.ख. चम्बा

हस्ताक्षर............
दिनांक............

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4.1 में सन्दर्भित

## Annual Financial Position of Grants in Aids in R/O GP Bhanoata for the Year to 2024-2025

| Sr.No | Particulars | F.Year | Opening | Receipt | Total | Expenditure | Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGNREGA | 2024-25 | 0.00 | 8020327.14 | 8020327.14 | 8020327.14 | 0.00 |
| 2 | 15th FC | 2024-25 | 1276178.00 | 1457254.00 | 2733432.00 | 284698.00 | 2448734.00 |
| 3 | VKVNY | 2024-25 | 39150.00 | 351249.00 | 390399.00 | 288440.00 | 101959.00 |
| 4 | SDP | 2024-25 | 3712.80 | 566432.00 | 570144.80 | 562197.00 | 7947.80 |
| 5 | MPLAD (Rajya Sabha) | 2024-25 | 0.00 | 1250810.00 | 1250810.00 | 1203008.20 | 47801.80 |
| 6 | Relief,SDRF, WCD,DPO, MPLAD | 2024-25 | 222871.49 | 207949.00 | 430820.49 | 425197.80 | 5622.69 |
| 7 | MMYUPY | 2024-25 | 5375.00 | 250447.00 | 255822.00 | 247390.00 | 8432.00 |
| 8 | MMGPY | 2024-25 | 1605.80 | 44.00 | 1649.80 | 0.00 | 1649.80 |
| 9 | Niti Aayog | 2024-25 | 7721.00 | 213.00 | 7934.00 | 0.00 | 7934.00 |
| 10 | IAY/RAY | 2024-25 | 21972.00 | 605.00 | 22577.00 | 0.00 | 22577.00 |
| | | | 1578586.09 | 12105330.14 | 13683916.23 | 11031258.14 | 2652658.09 |

**Annexure "3" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Bhanota, Chamba**

Reffered in Para 9.1

| SR. No. | NAME OF VENDER/ SUPPLIER | GRANTS/ HEAD | VOUCHER/ DATE | NAME OF MATERIAL | AMOUNT PAID | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Stone | 75600.00 | Performa Bill |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Agg. 20mm | 17358.66 | |
| | | | | Sand | 20514.78 | |
| 2 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Stone | 212451.66 | |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Agg. 20mm | 124823.99 | |
| | | | | Sand | 217117.39 | |
| 3 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Agg. 20mm | 70222.99 | |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Sand | 81301.39 | |
| 4 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Agg. 20mm | 136725.81 | |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Sand | 67832.96 | |
| | | | | Stone | 120827.46 | |
| 5 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Agg. 20mm | 97088.59 | |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Sand | 93160.27 | |
| | | | | Stone | 272348.66 | |
| 6 | M/S Anita Devi | MPLAD | Nil/ | Stone | 44044.00 | |
| | PO Chaned, Chamba, | | 31-01-2025 | Sand | 13000.00 | |
| 7 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Agg. 20mm | 11900.00 | |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Sand | 6500.00 | |
| | | | | Stone | 34000.00 | |
| 8 | M/S Aman Deep Jaryal | MGREGA | Nil/ | Shutring | 33884.52 | Cash Memo |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Shutring | 71395.60 | |
| | | | | **Total** | **1822098.73** | |

सचिव
ग्राम पंचायत भनोता

## Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.1

**DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BHANOTA TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2024 TO 03/2025**

| SR. NO. | NAME OF VENDER/ SUPPLIER | GRANTS/ HEAD | VOUCHER/ DATE | NAME OF MATERIAL | QTY. M3 | QTY. TONNE | AMOUNT PAID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Stone | 29.67 | 66.46 | 75600.00 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Agg. 20mm | 5.80 | 11.25 | 17358.66 |
| | | | | Sand | 8.94 | 14.30 | 20514.78 |
| 2 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Stone | 83.37 | 186.75 | 212451.66 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Agg. 20mm | 41.64 | 80.78 | 124823.99 |
| | | | | Sand | 90.33 | 144.53 | 217117.39 |
| 3 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Agg. 20mm | 12.23 | 23.73 | 70222.99 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Sand | 35.56 | 56.90 | 81301.39 |
| 4 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Agg. 20mm | 45.86 | 88.97 | 136725.81 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Sand | 29.86 | 47.78 | 67832.96 |
| | | | | Stone | 47.40 | 106.18 | 120827.46 |
| 5 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Agg. 20mm | 32.55 | 63.15 | 97088.59 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Sand | 40.76 | 65.22 | 93160.27 |
| | | | | Stone | 106.86 | 239.37 | 272348.66 |
| 6 | M/S Anita Devi | MPLAD | Nil/ | Stone | 20.21 | 45.27 | 44044.00 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 31-01-2025 | Sand | 5.67 | 9.07 | 13000.00 |
| 7 | M/S Anita Devi | SDP | Nil/ | Agg. 20mm | 3.96 | 7.68 | 11900.00 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 31-01-2025 | Sand | 2.83 | 4.53 | 6500.00 |
| | | | | Stone | 13.33 | 29.86 | 34000.00 |
| | | | | **TOTAL** | **656.83** | **1291.76** | **1716818.61** |

सचिव
ग्राम पंचायत भनौता
वि.खण्ड चम्बा जिला चम्बा

## Annexure "5" Refferred in Para number 8.2

## Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o G P Bhanota, Chamba H.P.

| SR. NO. | NAME OF VENDER/ SUPPLIER | GRANTS/ HEAD | VOUCHER/ DATE | Bill No. Date | NAME OF MATERIAL | AMOUNT PAID | TDS 2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TDS under Section 194 C Income Tax Act 1962** | | | | | | |
| 1 | M/S Aman Deep Jaryal Vill. Chaned, Chamba | MGREGA | Nil/ 22-01-2025 | 111/ 17-10-2024 | Shutring on rent | 33884.52 | 677.69 |
| 2 | M/S Aman Deep Jaryal Vill. Chaned, Chamba | MGREGA | Nil/ 22-01-2025 | 109 & 110/ 17-10-2024 | Shutring on rent | 71314.83 | 1426.30 |
| | | | | | **Total A** | **105199.35** | **2103.99** |
| | **GST TDS SECTION 51 A GST Act 2017** | | | | | | |
| 3 | M/S Anita Devi PO Chaned Tehsil Chamba (H.P.) | MGREGA | Nil/ 22-01-2025 | 43 To 50/ 23-10-2024 | Sand, Stone & Agg. | 341559.98 | **6831.20** |
| 4 | M/S Anita Devi PO Chaned Tehsil Chamba (H.P.) | MGREGA | Nil/ 24-10-2024 | 31 To 37/ 21-10-2024 | Sand, Stone & Agg. | 352696.93 | **7053.94** |
| 5 | M/S Anita Devi PO Chaned Tehsil Chamba (H.P.) | MGREGA | Nil/ 24-10-2024 | 16 To 24/ 19-10-2024 | Sand, Stone & Agg. | 390597.52 | **7811.95** |
| 6 | M/S Anita Devi PO Chaned Tehsil Chamba (H.P.) | MGREGA | Nil/ 24-10-2024 | 25 To 30/ 20-10-2024 | Sand, Stone & Agg. | 173821.96 | **3476.44** |
| 7 | M/S Anita Devi PO Chaned Tehsil Chamba (H.P.) | MGREGA | Nil/ 24-10-2024 | 38 To 42/ 22-10-2024 | Sand, Stone & Agg. | 263098.22 | **5261.96** |
| | | | | | **Total B** | **1521774.61** | **30435.49** |
| | | | | | **Grand Total A+B** | **1626973.96** | **32539.48** |

हस्ताक्षर..........
दिनांक..........

सचिव
ग्राम पंचायत भनौता
वि.खण्ड चम्बा जिला चम्बा

## Annexure "6" Reffered in Para No. 8.3 Payment made without Deducted Voids in Aggrigate & Stone Agg. In R/O GP Bhanota Development Block Chamba Distt. Chamba H.P.

| SR. NO. | NAME OF VENDER/ SUPPLIER | GRANTS/ HEAD | VOUCHER/ DATE | NAME OF MATERIAL | QTY. M3 | QTY. TONNE | AMOUNT PAID | Voids 12.5 & 5 % | Amount Should be paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Stone | 29.67 | 66.46 | 75600.00 | 9450.00 | 66150.00 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Agg. 20mm | 5.80 | 11.25 | 17358.66 | 867.93 | 16490.73 |
| 2 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Stone | 83.37 | 186.75 | 212451.66 | 26556.46 | 185895.20 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Agg. 20mm | 41.64 | 80.78 | 124823.99 | 6241.20 | 118582.79 |
| 3 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | | | | | | 0.00 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Agg. 20mm | 12.23 | 23.73 | 70222.99 | 3511.15 | 66711.84 |
| 4 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Agg. 20mm | 45.86 | 88.97 | 136725.81 | 6836.29 | 129889.52 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Stone | 47.40 | 106.18 | 120827.46 | 15103.43 | 105724.03 |
| 5 | M/S Anita Devi | MGREGA | Nil/ | Agg. 20mm | 32.55 | 63.15 | 97088.59 | 4854.43 | 92234.16 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 22-01-2025 | Stone | 106.86 | 239.37 | 272348.66 | 34043.58 | 238305.08 |
| 6 | M/S Anita Devi | MPLAD | Nil/ | Stone | 20.21 | 45.27 | 44044.00 | 5505.50 | 38538.50 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 31-01-2025 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | M/S Anita Devi | SDP | Nil/ | Agg. 20mm | 3.96 | 7.68 | 11900.00 | 595.00 | 11305.00 |
| | PO Chaned, Chamba, | | 31-01-2025 | Stone | 13.33 | 29.86 | 34000.00 | 4250.00 | 29750.00 |
| | | | | **TOTAL** | **442.88** | **949.44** | **1217391.82** | **117814.97** | **1099576.85** |

Remarks : As per CPWD 2.1.2.13 Percentage of reduction in Volume Computed by stack measurements to arrive at the volume to

| | Standrad Size of Aggregate | % of Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Stone Aggrigate 75mm & 63 mm | 12.50% |
| 2 | Aggregate 20mm, 12mm, 10mm & | 5% |

सचिव
ग्राम पंचायत भनौता
वि.खण्ड चम्बा जिला चम्बा

हस्ताक्षर ........
दिनांक ........

23

Annexure "7" Reffered in Audit Para 8.4

| Sr. No. | Head | Work Name | Sanction Amount | Work Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGNREGA | Mahila Mandal Bhavan nirman vill. Kadot(1302003101/AV/8000042447) | 500000 | Completed |
| 2 | MGNREGA | Anganwadi Bhawan Hadotha (Covn. With Niti Ayog ICDS Deptt.)(1302003101/AV/8000048295) | 999000 | Ongoing |
| 3 | MGNREGA | PW Vill Drabad(1302003101/FP/8000103363) | 490000 | Completed |
| 4 | MGNREGA | PW Bus Adda Ghadoti(1302003101/FP/8000103392) | 489782 | Ongoing |
| 5 | MGNREGA | PW Ward Ghadoti(1302003101/FP/GIS/33554) | 491484 | Ongoing |
| 6 | MGNREGA | C/o Check Dam Ghadoti Nala(1302003101/FP/GIS/82005) | 484000 | Ongoing |
| 7 | MGNREGA | Repair of Pacca Path repair of Ambulance road main road to vill Ladoh(1302003101/RC/GIS/61426) | 165000 | Completed |
| 8 | MGNREGA | Repair of Pacca Path vill Ghadoti phase 2(1302003101/RC/GIS/61437) | 133145 | Ongoing |
| 9 | MGNREGA | Repair of jeep road nala to Naini(1302003101/RC/GIS/61441) | 138504 | Ongoing |
| 10 | MGNREGA | C/o Pacca Ambulance road Anganwari to Tarmunda (1302003101/RC/GIS/82006) | 500000 | Completed |
| | | **TOTAL** | **4390915** | |

SO (Audit)

प्रधान ग्राम पंचायत भनौता

हस्ताक्षर.................

दिनांक.................

सचिव
ग्राम पंचायत भनौता
वि.खण्ड चम्बा जिला चम्बा